न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:– श्री अयूब खान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 1101 / 2017

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
दीपक पुत्र मालाराम जाति खटीक सा0 शिवाजी नगर सुमेरपुर रोड, पाली जरिए आम मुख्तियारनामा–		1. भेराराम पुत्र चौथाराम
1 पारसमल		2. लीलाराम पुत्र विजयराज
2 मोहनलाल पि0 सीमाराम		3. श्याम पुत्र विजयराज
3 पानी देवी पुत्री सीमाराम		4. नीतू पुत्री विजयराज
4 सोहनीदेवी पुत्री सीमाराम		5. छिनकी पुत्र विजयराज जातियान–माली साकिन–घोलीबाड़ी का बास सोजतसिटी।
5 मीकीदेवी पत्नि सीमाराम		6. भंवरी पत्नि नारायण जाति माली निवासी नयापुरा सोजतसिटी।
6 प्रकाश		7. नैनी पत्नि सोहनलाल जाति माली निवासी बेरा कमाया सोजतसिटी
7 मदन		8. सुखीया पत्नि मोहनलाल जाति माली निवासी निम्बली नाडी सोजत।
8 जगदीश पीराराम पूनाराम जातियान–घांची साकिन– सोजतसिटी जिला–पाली (राज0)		9. मिश्रीदेवी पत्नि भीयाराम जाति माली निवासी पाली दरवाजा रोड सोजतसिटी।
		10. घीसी पत्नि भाकर जाति माली निवासी नाथलकुण्डी सोजतसिटी।
		11. रामी पत्नि तेजाराम जाति माली निवासी पतालिया बेरा सोजतसिटी।
		12. सन्तोष पुत्र चौथाराम जाति माली निवासी घोलीबाड़ी का बास सोजतसिटी।
		13. तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत।

<u>राजस्व वाद बाबत घोषणा दिलवाने कब्जा एवं निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 183 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थिति:–

1. श्री ताराचंद टॉक, अधिवक्ता वादी उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक– 24.10.2018

अधिवक्ता मय वादी ने यह राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, 183 एवं 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत बाबत् घोषणा दिलवाने कब्जा एवं स्थाई एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा चक । तहसील सोजत मे स्थित कृषि भूमि जिसके पुराने खसरा नम्बरान स्व0 चौथाराम की खातेदारी हकूक एवं कब्जा काश्त की ख0 नं0 203/5 रकबा 16 बिस्वा, ख0नं0 203/9 रकबा 18 बिस्वा, ख0नं0 203/10 रकबा 08 बिस्वा, ख0नं0 203/11 रकबा

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

08 बिस्वा, ख0नं0 203/13 रकबा 09 बिस्वा कुल किता 5 रकबा लगभग 69 बिस्वा यानि 3 बीघा 13 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि चौथाराम पुत्र मानाराम की खातेदारी की तथा ख0नं0 201/3 रकबा 09 बिस्वा, ख0नं0 203/8 रकबा 10 बिस्वा, ख0नं0 203/12 रकबा 08 बिस्वा, ख0नं0 203/14 रकबा 05 बिस्वा, ख0नं0 203/15 रकबा 05 बिस्वा, कुल किता 05 रकबा 37 बिस्वा यानि लगभग 02 बीघा 6 बिस्वा भूमि चौथा पुत्र माना व शिवराम पुत्र छोगा 1/3 हिस्सा यानि स्वर्गीय चौथा पुत्र माना का 1/6 हिस्सा अर्थात 1/1 बीघा स्थित है। स्व0 चौथा ने अपनी खातेदारी एवं हिस्से की उपरोक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि दिनांक 24.01.1948 को जरिये बेचान रजिस्ट्री वादीगण के पूर्वज स्व0 रामा पुत्र सरूप जाति घांची निवासी सोजत सिटी को बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया। तब से विवादित भूमि पर वादीगण का पूर्वजा के समय से बतौर खातेदार काश्तकार कब्जा बना हुआ है। बेचान रजिस्ट्री के ख0नं0 203/5, 203/9, 203/10, 203/11 तथा 203/13 की कृषि भूमि वादीगण के पूर्वज स्व0 रामा के नाम खातेदारी में दर्ज हो गयी, शेष भूमि सामलाती खाते में ही रह गई। तत्पश्चात सैटलमेंट के दौरान उपरोक्त पुराने खसरा नम्बरान के नये ख0नं0 रकबा के निम्नांकित नये तरमीम खातेदार कायम हुए:-

पुराना ख0नं0	रकबा	खातेदार	नया ख0नं0	रकबा	खातेदार
203/5	11/9 बीघा	रामा	3850	0.1200	चौथा पुत्र माना माली
203/9	11/3 बीघा	रामा	3851	0.0800	रामा पुत्र सरूप
203/10	1/3 बीघा	रामा	3851	0.2000	रामा पुत्र सरूप
203/11	1/3 बीघा	रामा	–	–	–
203/13	1/4 बीघा	रामा	3858	0.1100	रामा पुत्र सरूप
203/3	1/4 बीघा	चौथा	3853	0.2300	पना वगैरह
203/8	11 बीघा	चौथा	3849	0.0900	चौथा वगैरह
203/12	1/3 बीघा	चौथा	3859	0.0800	चौथा वगैरह
203/14	1 बीघा	चौथा	3856	0.0600	चौथा वगैरह
203/15	1 बीघा	चौथा	3857	0.0600	चौथा वगैरह

उक्त भूमि में से ख0नं0 3851, 3852 व 3858 कुल रकबा 0.39 हैक्टर को छोड़ कर शेष भूमि विवादग्रस्त भूमि है, का वाद पेश किया है। इस प्रकार सेटलमेंट सर्वे के दौरान मात्र खसरा नम्बर 3851, 3852, 3858 ही रामा पुत्र सरूप के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित हुआ। खसरा पुराना 203/5 जिसके नये नम्बर 3850 कायम हुए, पुरानी जमाबंदी में रामा खातेदार को हटाकर पुनः चौथा पुत्र माना कर दिया गया तथा शेष स्व0 चौथा की हिस्से व खातेदारी भूमि जो स्व0 रामा को जरिये पंजीबद्ध विलेख के हस्तान्तरित कर कब्जा सुपर्द कर दिया था, के नये नम्बर 3849, 3853, 3856, 3857 तथा 3859 में पुनः स्व0 रामा के स्थान पर 1/6 हिस्से में चौथा को हिस्से दार दर्ज कर पर्चा खतौनी तैयार की दी, जो बिना किसी वैध हस्तान्तरण अथवा सक्षम न्यायालय/प्राधिकरण के आदेश से बदला गया। ऐसा तरमीम विधि विरूद्ध है। वादीगण जो स्व. रामा पुत्र सरूप के वैध वारिसान है के वैध हक हिस्से के विरूद्ध शून्य तथा बेअसर है। वादीगण ने उक्त वाद में यह भी अभिकथन किया कि वादीगण बाहर कर्नाटक में अपने कार्य व्यापार में व्यस्त होने से अपनी खातेदारी कब्जा काश्त की उपरोक्त भूमि चौथे हासल पर प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 के पति को काश्त पर सन् 2005 में सुपुर्द की थी। प्रतिवादीगण ने वर्ष 2012 तक उनालू फसल का हासल लटाया। वर्ष 2012 में ही अग्रिम काश्त हेतु ईन्कार कर दिया। वर्ष 2012-2013 में अच्छी वर्षा के कारण तथा वादीगण की अनुपस्थिति का नाजायज फायदा उठा प्रतिवादीगण 1, 2 व 3 न केवल सावणु फसल बल्कि उनालू फसल वादीगण की अनुपस्थिति में भी बो दी जिसकी

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

जानकारी वादिया भीकी देवी को दीपावली पर सोजत आने पर हुई। प्रति0 ने क्षमा याचना कर होली पर लटाई का वादा किया किन्तु पुनः मौके पर जाने पर पाया कि प्रतिवादीगण ने मौके पर खडाई कर धोरा पाली मिटा दी फसल भी ले गये। भीकी देवी के पुनः पूछने पर विवाद कर हासल लटाने से इन्कार कर उल्टा जबरदस्ती काश्त करने बेदखल करने की धमकी दे दी तथा मारपीट पर उतारू हो गये। प्रतिवीदगण खतरनाक प्रवृति के है, वादीगण की अनुपस्थिति का नाजायज फायदा उठा वर्ष 2013 में उनकी बिना सहमति के वादस्थ कृषि भूमि खसरा नम्बर 3850 की सम्पूर्ण भूमि तथा खसरा नॅबर 3849, 3853, 3856, 3857, 3859 के 1/6 हिस्से पर जबरदस्ती नाजायज कब्जा कर दिया है। सेटलमेंट के गलत तरमीम के आधार पर खातेदार ही मानने से इन्कार कर दिया। इसलिए वादीगण की ओर से यह वाद खसरा नम्बर 3850 की सम्पूर्ण भूमि तथा खसरा नम्बर 3849, 3853, 3856, 3857 तथा 3859 के 1/6 हिस्से की कृषि भूमि को अपनी खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने तथा उसके हिस्से की भूमि का विधिवत रूप से सीमाकन कर कब्जा दिलाने एव उसकी खातेदारी हिस्से एव कब्जा काश्त की कृषि भूमि मे दखलंदाजी को रोकने हेतु निषेधाज्ञा की डिक्री पारित किये जाने हेतु निवेदन किया है। इस प्रकार अधिवक्ता वादी ने वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एव दस्तावेजात पेश कर मौजा-सोजत चक । की पूर्वोक्त पुराने ख0नं0 के नये ख0नं0 3850 रकबा 0.1200 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि तथा ख0नं0 3849, 3853, 3856, 3857 व 3859, कुल किता 5 रकबा 0.5200 हैक्टर भूमि के 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा वादीगण की उक्त भूमि का कब्जा दिलाया जाकर वादीगण की खातेदारी एव कब्जेकाश्त की उक्त भूमि में दखलंदाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते ज0दा0 तलब किया गया। प्रवितादीगण संख्या 1 से 4 तथा 6 से 12 को जारी सम्मनस बाद तामिली/सूचना तामिली रिपोर्ट सलग्न पत्रावली की गई। प्रतिवादीगण 1 से 12 की ओर से श्री महेन्द्र चौधरी एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत करने की अंडरटेकिंग दिनांक 20.09.2018 को तथा 2 से 5 की ओर से लिखित में उसी दिन और अण्डरटेकिंग ली है। किन्तु इसके बावजूद उनकी ओर से न तो वकालतनामा प्रस्तुत किया गया तथा न ही पैरवी से भी इन्कार किया है। दिनांक 26.09.2018 को श्री चौधरी ने वकालतनामा पेश करने तथा पेरवी से स्पष्ट इन्कार कर दिया। प्रतिवादीगण 1 से 12 को बार – बार आवाजे दिलायी गई, किन्तु उनकी ओर से स्वयं एव अन्य कोई भी उपस्थित न होने से उनके विरूद्व दिनॉक 26.09.2018 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 13 उपस्थित, पृथक से ज0दा0 पेश नही करना चाहने से ज0दा0 दि0 26.09.2018 को बन्द किया गया। चूंकि प्रतिवादीगण की ओर से वाद में किसी प्रकार का प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे तनकियात कायमी की कोई आवश्यकता प्रतीत नही होने से अधिवक्ता वादीगण को शहादत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। वादी ने अपने साक्ष्य समर्थन में दिनांक 24.10.2018 को शहादत वादीगण दीपक का तस्दीक सुदा शपथ पत्र तथा दस्तावेज प्रस्तुत किये, सामिल मिसल किये। वादी ने अपने वाद के समर्थन में प्रदर्श 1 आममुख्तियार पारस मोहन पुत्र सीमाराम घांची वगैरह का निष्पादित दिनांक 21.08.17 को सत्यापित किया गया तथा आम मुख्तयारनामा प्रदर्श 2 जो प्रकाश मदन जगदीश पी0 पुनाराम वगैरह द्वारा दीपक के नाम निष्पादित दिनांक 01.10.2017 को नोटरी से सत्यापित है, पेश किया, सामिल मिसल है। स्व0 चौथा पुत्र भाना ने वादीगण के पूर्वज रामा पुत्र सरूप घाची के नाम उक्त वादस्थ कृषि भूमि की बेचान रजिस्ट्री पंजीबद्ध दिनांक 23.01.48 प्रदर्श 3, वादस्थ कृषि भूमि की जमाबंदी संवत 2022 से 2025 प्रदर्श–4 में चौथा पुत्र भाना का नाम है, प्रदर्श–5 रामा पुत्र सरूप घांची के नाम जमाबंदी संवत 2030 से 33 रामा पुत्र सरूप, प्रदर्श–6 एवं चौथा पुत्र भाना, प्रदर्श–7, खसरा पत्रक नये पुराने खसरा मिलान प्रदर्श 8 से 18 के साथ प्रदर्श–19 से 22 एवं वर्तमान जमाबंदी खसरा नम्बर 3851, 3852, 3858 रामा पुत्र सरूप के नाम प्रदर्श–23 प्रस्तुत की है, सामिल मिसल किया गया। मुख्य परीक्षण शहादत वादीगण pw-1 दीपक द्वारा प्रस्तुत तस्दीकसुदा शपथ–पत्र का करवाया गया तथा

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

दस्तावेजात Ex.1 से 23 को प्रदर्शित करवाया गया, सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना / तामिली अनुपस्थिति रहने से एवं उनकी ओर श्री चौधरी अधिवक्ता प्रति० द्वारा पैरवी हेतु उपस्थिति से इन्कार होने से एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। फलत: जिरह प्रतिवादी शुन्य रही।

बहस अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्त वादी ने व्यक्त किया कि वाद में वर्णित समस्त तथ्यों की संपुष्टि पुराने खसरा नम्बरो के सैटलमेंट के दौरान बने नये खसरा नम्बरान तथा खातेदारान की दर्ज प्रविष्टियो से होती है। शहादत वादीगण PW-1 दीपक के तस्दीकशुदा शपथ–पत्र एवं प्रदर्शित दस्तावेजात अनुसार वाद सपुष्ट हो जाने से माफिक दावा वाद डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की है। प्रतिवादीगण की ओर से श्री चौधरी ने अण्डरटेकिंग लेने के पश्चात वकालतनामा पेश करने से इन्कार होने से अवसर समाप्त किया जा चुका है। जिससे प्रतिरक्षात्मक पैरवी /साक्ष्य सबूत पेश नही किये जाने से एक पक्षीय कार्यवाही होकर बहस एक पक्षीय सुनी गई व समायत की गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र मय शपथ–पत्र एव दस्तावेजात, शहादत वादी PW-1 के तस्दीकशुदा शपथ–पत्र के संलग्न पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन कियागया। प्रदर्श–3 बेचान रजिस्ट्री में सोजत चक–1 में स्थित कृषि भूमि जो चौथा पुत्र भाना माली की खातेदारी की थी वह सम्पूर्ण भूमि रामा पुत्र सरुप घांची को जरिये बेचान रजिस्ट्री हस्तान्तरित कर कब्जा रामा को सुपर्द किया। इस बेचान रजिस्ट्री के आधार पर जमाबंदी संवत 2022 से 2025 तथा सवत 2030 से 2033 में खसरा नम्बर 203/5, 203/9, 203/10, 203/11 तथा 203/13 की सम्पूर्ण कृषि भूमि रामा पुत्र सरूप के नाम खातेदारी में दर्ज हो गई जो शेष भूमि जिसमें चौथा पुत्र भाना 1/6 हिस्सेदार था वह भूलवश सामलाती खातेदारान के साथ पुनः उसी के नाम रह गयी। इसी दौरान सोजत में भू–प्रबंध विभाग का सर्वे प्रारम्भ हो चुका था। भू–प्रबन्ध विभाग ने सर्वे के दौरान पुराने खसरा नम्बर 203/5 जिसका नया नम्बर 3850 कायम हुए। रामा पुत्र सरूप का नाम जमाबंदी से हटाकर पुनः चौथा पुत्र भाना के नाम दर्ज कर दी जो किस आधार पर तरमीम की गई, के कोई प्रमाण बतौर रेकर्ड पर प्रस्तुत नहीं किये गए, यह तरमीम गलत विधि विरूद्व रूप से की गई है। इसी प्रकार पुराने खसरा नम्बर 203/3, 203/4, 203/7, 203/8, 203/12, 203/14 तथा 203/15 जिसके नये नम्बर 3849, 3853, 3856, 3857 तथा 3859 बने है, पुनः चौथा पुत्र भाना के नाम दर्ज हो गए। जबकि यह भूमि दिनांक 23.01.1948 को ही जरिये पंजीबद्व बेचान रजिस्ट्री के हस्तान्तरित रामा पुत्र सरूप के नाम की जा चुकी थी। उक्त भूमि पुनः चौथा के नाम दर्ज हो गई, जो बिना किसी वैध हस्तान्तरण या सक्षम न्यायालय के आदेश से किया जाना प्रतीत होता है। सैटलमेंट का कृत्तव्य है कि सर्वे के दौरान पूर्व के राजस्व रेकर्ड में दर्ज इन्द्राज को ही नई खतौनी में दर्ज करना था। परिवर्तन मात्र वैध हस्तान्तरण या सक्षम न्यायालय के आदेश से ही वांछित था, ऐसा नही किये जाने से सैटलमेंट विभाग द्वारा किया गया परिवर्तन विधि सम्मत नही है। ऐसे अवैध तरमीम से वादीगण के वैध अधिकार जो उन्हे बेचान रजिस्ट्री से प्राप्त हुए है, बिना किसी आदेश के तब्दील विधि विरूद्व किया है। खसरा गिरदावरी के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि रामा पुत्र सरुप का नाम खातेदारी एंव कब्जा काश्त में रहते हुए पुराना खसरा नम्बर 203/5 से हटाकर पुनः चौथा पुत्र भाना का नाम सैटलमेंट में तब्दील कर दिया गया। प्रतिरक्षात्मक में कोई सबूत साक्ष्य प्रस्तुत नही हुए है।

पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य दस्तावेजात के आधार पर यह पाया गया है कि प्रतिवादीगण ने वर्ष 2005 से 2012 तक वादीगण को काश्त की पैदावार का 1/4 हिस्सा वादीगण को प्रदान किया, मगर बाद में न केवल इन्कार किया बल्कि वादीगण की सहमति के बिना उनकी खातेदारी कृषि भूमि पर नाजायज कब्जा कर दिया तथा मौके पर खडाई से मेड बिखेर वास्तविक स्थिति में परिवर्तन कर दिया है, जिससे वादीगण पुनः सीमांकित करवाकर कब्जा पाने के अधिकारी है। चूंकि वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि के वैध खरीददार तथा खातेदार है। अतः उन्हे सोजत चक–1 के खसरा नम्बर 3850 रकबा 0.1200 हैक्टर की

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

सम्पूर्ण भूमि तथा खसरा नम्बर 3849 रकबा 0.0900 हैक्टर खसरा नम्बर 3853 रकबा 0.2300 हैक्टर खसरा नम्बर 3856 रकबा 0.0600 हैक्टर खसरा नम्बर 3857 रकबा 0.0600 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 3859 रकबा 0.0800 हैक्टर के 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना तथा तदानुसार राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम दर्ज किया जाना उचित समझते है। चूंकि वादीगण खसरा नम्बर 3850 की संपूर्ण भूमि तथा खसरा नम्बर 3849, 3853, 3856, 3857, 3859 के 1/6 हिस्से के वैध खातेदार घोषित किये जाने पर प्रतिवादीगण का अतिकमण है। अतः उन्हे इससे बेदखल किया जाकर पुनः सीमांकन कर वादीगण को कब्जा दिलाया जाना एवं वादीगण की उक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त उपयोग/उपभोग की भूमि मे दखलदाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाना उचित समझते है।

:–आदेशः–

अतः डिकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा सोजत चक–1 में स्थित कृषि भूमि ख0नं0 3850 रकबा 0.1200 हैक्टर की सम्पूर्ण भूमि तथा खसरा नम्बर 3849 रकबा 0.0900 हैक्टर, खसरा नम्बर 3853 रकबा 0.2300 हैक्टर खसरा नम्बर 3856 रकबा 0.0600 हैक्टर, खसरा नम्बर 3857 रकबा 0.0600 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 3859 रकबा 0.0800 हैक्टर के 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोपित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम दर्ज किया जावें। चूंकि वादीगण खसरा नम्बर 3850 की संपूर्ण भूमि तथा खसरा नम्बर 3849, 3853, 3856, 3857, 3859 के 1/6 हिस्से के वैध खातेदार घोषित किये जाने पर प्रतिवादीगण का अतिकमण है। अतः उन्हे इससे बेदखल किया जाकर पुनः सीमांकन कर वादीगण को कब्जा दिलाया जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। वादीगण की उक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त उपयोग/उपभोग की उक्त भूमि मे दखलंदाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। डिकी पर्चा पृथक से मुर्तिब किया जाकर सामिल मिसल हो। तहसीलदार सोजत को निर्णय एवं डिकी की प्रति तहरीर के साथ पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(अयूब खान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सोजत (पाली)

निर्णय आज दिनांक 24.10.2018 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अयूब खान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

डिकी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

बइजलाश श्री अयूब खान, आर.ए.एस.

वादीगण — **बनाम** — **प्रतिवादीगण**

वादीगण

दीपक पुत्र मालाराम जाति खटीक सा0 शिवाजी नगर सुमेरपुर रोड़ पाली

जरिए आम मुख्तियारनामा:–

1. पारसमल
2. मोहनलाल पी0 सीमाराम
3. पानी देवी पुत्री सीमाराम
4. सोहनीदेवी पुत्री सीमाराम
5. भीकीदेवी पत्नि सीमाराम
6. प्रकाश
7. मदन
8. जगदीश पीसरान पूनाराम जातियान–घाची साकिन– सोजतसिटी जिला–पाली (राज0)

प्रतिवादीगण

1. भेराराम पुत्र चौथाराम
2. लीलाराम पुत्र विजयराज
3. श्याम पुत्र विजयराज
4. नीतू पुत्री विजयराज
5. छिनकी पुत्र विजयराज जातियान–माली साकिन–धोलीबाड़ी का बास सोजतसिटी।
6. भंवरी पत्नि नारायण जाति माली निवासी नयापुरा सोजतसिटी।
7. नैनी पत्नि सोहनलाल जाति माली निवासी बेरा कमावा सोजतसिटी
8. सुखीया पत्नि मोहनलाल जाति माली निवासी निम्बली नाडी सोजत।
9. मिश्रीदेवी पत्नि भीयाराम जाति माली निवासी पाली दरवाजा रोड सोजतसिटी।
10. धीसी पत्नि भाकर जाति माली निवासी नाथलकुण्डी सोजतसिटी।
11. रामी पत्नि तेजाराम जाति माली निवासी पतालिया बेरा सोजतसिटी।
12. सन्तोष पुत्र चौथाराम जाति माली निवासी धोलीबाड़ी का बास सोजतसिटी।
13. तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत।

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी सोजत (पाली))

राजस्व वाद बाबत घोषणा दिलवाने कब्जा एवं निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 183 एवं 92ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व मूल वाद संख्या :–1101/2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री ताराचंद टांक अधिवक्ता वादीगण स्वय तथा शून्य प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा सोजत चक–1 में स्थित कृषि भूमि ख0नं0 3850 रकबा 0.1200 हैक्टर की सम्पूर्ण भूमि तथा खसरा नम्बर 3649 रकबा 0.0900 हैक्टर, खसरा नम्बर 3853 रकबा 0.2300 हैक्टर खसरा नम्बर 3856 रकबा 0.0600 हैक्टर, खसरा नम्बर 3857 रकबा 0.0600 हैक्टर

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला–पाली) राज

Scanned by CamScanner

तथा खसरा नम्बर 3859 रकबा 0.0800 हैक्टर के 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज किया जावें। चूंकि वादीगण खसरा नम्बर 3850 की संपूर्ण भूमि तथा खसरा नम्बर 3849, 3853, 3856, 3857, 3859 के 1/6 हिस्से के वैध खातेदार घोषित किये जाने पर प्रतिवादीगण का अतिक्रमण है। अतः उन्हें इससे बेदखल किया जाकर पुनः सीमाज्ञान कर वादीगण को कब्जा दिलाया जावे हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। वादीगण की उक्त खातेदारी एवं कब्जे वाश्त उपयोग/उपभोग की उक्त भूमि में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। तहसीलदार सोजत को निर्णय एवं डिक्री की प्रति तामील के वास्ते पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत –

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य की अदा करे।

अशिका मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 24.10.2018 को मेरे इजलास जारी की गई।

(अयुब खान)
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत (पाली)

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प दस्त सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफरिक	शून्य	शून्य
	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य
मुतफरिक	शून्य	शून्य			
मीजान	शून्य	शून्य	मीजान	शून्य	शून्य

Scanned by CamScanner

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पर भी बिना कोई सूचना लिए लगातार अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण आइन्दा दिनांक 03-10-2018 को पेश हो। (हस्ताक्षर) SDO, Sojat.	
03-10-18	मुकदमा उपस्थित। आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली 15-10-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत	तामील 23 7/11/18
15-10-18	मुकदमा उपस्थित। आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली 23-10-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत	
23-10-18	मुकदमा उपस्थित। आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली 24-10-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत	
24-10-18	वादीगण उपस्थित। प्रति० सं० 13 दिनांक 26-09-2018 को उपस्थित आए, प्रार्थना पत्र में जवाब पेश करना नहीं चाहने से उनका हक जवाब बन्द किया जाता है। प्रति० सं० 13 आज अनुपस्थित है। चूंकि प्रतिवादीगण की ओर से उक्त वाद में किसी प्रकार का प्रत्युत्तर पेश नहीं किए जाने से वाद में तनकीयात की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य वादी PW-1 [illegible] का शपथ-पत्र पेश किया, साक्षी को तनकीयात मुख्य शपथ-पत्र, मुख्य शपथ-पत्र साक्ष्य वादी का मुख्य परीक्षण माना जाकर दस्तावेजात प्रदर्श-1 से 23 प्रदर्शित किए जाकर साक्षी किया। बयान [illegible] लिए जाकर साक्षी [illegible]। बहस अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। वाद-पत्र मय शपथ-पत्र, जिरह प्रति० [illegible] Ex-1 से 23 का अवलोकन मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया तथा बहस अधिवक्ता वादीगण पर गौर का मनन किया गया। P.T.O.	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय ...
	वादीगण मय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद स्वीकार किया जाता है। विपरीत आदेश ... डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जावे तथा डिक्री पृथक से मुर्तिब किया जावे। पत्रावली ... किया गया। पत्रावली नियमानुसार ... से बाद तामील ... जमा हो। SDO, Sojat.
19-11-2018	अधिवक्ता वादी श्री ... उपस्थित। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र ... प्रस्तुत वाद-पत्र 152 CPC पेश किया कि वादीगण ने ... में प्रति० सं० 2 लीला पत्नी बिजयराज के स्थान पर लीलाराम पुत्र बिजयराज वाद-पत्र में अंकित हो गया, ... जमाबन्दी में ... प्रति० सं० 2 ... बिजयराज की पत्नी है ... मात्र लिपिकीय त्रुटि ... प्रति० सं० 2 लीला के स्थान पर लीलाराम ... प्रति० सं० 2 लीलाराम ... निर्णय में भी दर्ज हो गया। माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री पत्रावली दिनांक 24-10-2018 ... में भी ... गलती ... लीला के स्थान पर लीलाराम पुत्र बिजयराज ... दर्ज हो गया। जबकि जमाबन्दी ... है। अतः न्यायालय द्वारा ... निर्णय तथा डिक्री दिनांक 24-10-2018 में ... संशोधित किये जाने ... प्रार्थना पत्र ... लिपिकीय त्रुटि ... निर्णय एवं डिक्री ... वाद-पत्र एवं निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24-10-2018 में प्रति० सं० 2 का गलत नाम लीलाराम के स्थान पर लीला पत्नी बिजयराज ... अधिवक्ता प्रार्थीगण (वादीगण) ... प्रार्थना पत्र धारा 152 CPC ... पर बहस सुनी गई। ... अधिवक्ता वादीगण ... संवत् 2070-73 ... प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का ... किया गया। ... बहस ... प्रति० सं० 2 का वास्तविक नाम जमाबन्दी ... लीला पत्नी बिजयराज के लीलाराम ... वाद-पत्र ... में लीलाराम ... दर्ज है।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दुरूस्त कियाजाकर इंद्राज की लिपिकीय भूलवश दर्ज होने से निर्णय व डिक्री दि० 24-10-2018 के बादी के पते की गलत इंद्राज दर्ज हो गया। अतः अधिवक्ता मय वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 19-11-2018 स्वीकार योग्य होने से धारा 152 CPC का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रकरण संख्या 110/17 शीर्षक भेराराम वगैरह बनाम तथा वगैरह में निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24-10-2018 में लिपिकीय भूलवश प्रतिवादी सं० 2 का इंद्राज लिपिकीय भूलवश गलत दर्ज नाम लीलाराम पुत्र ... के स्थान पर लीला पुत्र ... पढ़ा जावे। तदानुसार ... उक्त दुरूस्ती ... प्रमाणित प्रतिलिपि ... पत्रावली फैसल होकर ... पत्रावली ... जमा हो। दिनांक ... Sd/- SDO, Sojat.	867 25/11/18
06-02-19	अधिवक्ता वादी उपस्थित। अधिवक्ता वादी द्वारा धारा 152 CPC का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा ... पेश हुई। अधिवक्ता वादी ने पत्रावली ... प्रार्थना पत्र धारा 152 CPC का पेश कर निवेदन किया कि उक्त ... प्रकरण संख्या 110/12 का ... भेराराम वगैरह बनाम ... जिसमें दिनांक 24-10-2018 को वादी के पक्ष में निर्णय पारित कर न्यायालय द्वारा डिक्री जारी किया गया। वादपत्र में ... 4 के पिता व 5 के पति का नाम ... वादीगण सं० 1 से 4 के पिता व 5 के पति का नाम सही व वास्तविक नाम लीमाराम के स्थान पर निर्णय व डिक्री में गलत रूप से लीमाराम टंकित कर दिया है, जिसे लिपिकीय त्रुटिवश टंकित कर लीमाराम दर्ज किये जाने की दुरूस्ती ... अधिवक्ता वादी मुताबिक ... प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय निर्वाचन कार्ड पहचान पत्र, आधार कार्ड सं० RJ21/161/207107 दि० 07-08-2008, भामाशाह कार्ड सं० 6029962992651, खा० सं० 3615 तथा वाद-पत्र में ... संलग्न ... दस्तावेजात से ... प्रमाणित है कि वादीगण सं० 1 से 4 के पिता तथा 5 के पति का वास्तविक व सही नाम लीमाराम होना ... सिद्ध होता है। ... यद्यपि ... वादी ने वाद-पत्र में उनके पिता का नाम उल्लेखित किया है तथापि लीमाराम गलत उल्लेखित ... Sd/- P.T.O.	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	[illegible]
	फलतः, प्रस्तुत [illegible] एवं [illegible] आदि दस्तावेजात से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि हो जाने से प्रार्थना स्वीकार किया जाता है। न्यायालय हाजा से पारित निर्णय एवं डिक्री प.का. दिनांक 24-10-2018 में वादीगण सं० 1 से 4 के पिता तथा 5 के पति का गलत रूप से दर्ज [illegible] के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम [illegible] रूप से पढ़ा/माना [illegible] जावे। तहसीलदार, सोजत को उक्त आदेश [illegible] प्रति [illegible] दि० 06-02-2019 को [illegible] जावे। पत्रावली [illegible] से काम हो चुकने बाद [illegible] शुमार होकर नतीजा [illegible] दाखिल दफ्तर [illegible] जमा हो। SDO, Sojat.	